

## अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 70

## अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	72.79	72.79	...	95.79	95.79	...	77.88	77.88	20.00	113.98	133.98	
पूँजी	...	10.13	10.13	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	15.00	15.00	
जोड़	...	82.92	82.92	...	115.79	115.79	...	97.88	97.88	20.00	128.98	148.98	
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	22.55	22.55	...	28.91	28.91	...	30.68	30.68	...	40.36	40.36
2. विदेश कार्य													
2.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकें	2061	...	0.22	0.22	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
2.02 मनोरंजन प्रभार	2061	...	0.09	0.09	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
2.03 अन्य व्यय													
2.03.01 अन्य योजनाएं	2061	...	42.07	42.07	...	57.58	57.58	...	36.90	36.90	...	59.32	59.32
2.03.02 प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन	2061	...	7.86	7.86	...	8.00	8.00	...	9.00	9.00	...	13.00	13.00
जोड़- अन्य व्यय			49.93	49.93		65.58	65.58		45.90	45.90		72.32	72.32
2.04 स्वर्ण प्रवास योजना	2061	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
जोड़- विदेश कार्य			50.24	50.24		66.88	66.88		47.20	47.20		73.62	93.62
3. लोक निर्माण कार्य	4059	...	10.13	10.13	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	15.00	15.00
कुल जोड़			82.92	82.92		115.79	115.79		97.88	97.88		128.98	148.98
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00

1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं: इसमें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें विज्ञापन और प्रचार तथा संगोष्ठियां एवं अध्ययन आयोजित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2.01. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकें: इसमें भारत में आयोजित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ बैठकों पर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2.02. **मनोरंजन प्रभार:** इसमें भारत में आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय समारोहों में आने वाले अथवा बैठकों एवं परिचर्चाओं के लिए भारत में आमंत्रित किए जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के मनोरंजन पर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें दौरे पर आने वाले शिष्ट-मंडलों के स्थानीय आतिथ्य सत्कार पर व्यय के लिए भी प्रावधान किया गया है।

2.03. **अन्य व्यय:** इसमें योजनाओं तथा परियोजनाओं पर व्यय के लिए और साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस पर आयोजित होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए व्यय हेतु प्रावधान है।

2.03.02. **प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन:** प्रवासी भारतीय दिवस, 2015 का समारोह महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए शतवार्षिकी समारोह होगा। प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन को स्मरण करने हेतु मनाया जाता है।

2.04. **स्वर्ण प्रवास योजना:** भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा, प्रदान करके विदेश में रोजगार प्राप्त करने हेतु उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना और वेतन श्रृंखला में उन्हें उच्च स्थान पर लाना।

3. **लोक निर्माण कार्य:** यह प्रावधान प्रवासी भारतीय केन्द्र के निर्माण के लिए है।